आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

जन आधार

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः :–एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/362 दिनांकः 26-02-2024

तकनीकी निदेशक (जन आधार),
राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि.,
योजना भवन, जयपुर

विषयः– जन आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की श्रेणियों की सूची में से विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) की श्रेणी को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जन आधार के पोर्टल पर परिवार के किसी सदस्य की श्रेणियों की सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ–साथ विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) की श्रेणी भी प्रदर्शित हो रही है जिस कारण से निवासियो द्वारा जन आधार में ओबीसी श्रेणी से एसबीसी/एमबीसी श्रेणी में परिवर्तन कराने हेतु जिला कलक्टर्स को अपील की जा रही हैं और एसबीसी/एमबीसी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण ओबीसी का ही जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया जा रहा हैं। इससे जिला कलक्टर्स को निर्णय लेने में कठिनाई आ रही हैं।

उक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/36546 दिनांक 21.06.2019 (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो, के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होने से केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) का निर्धारण किया जाता है।

अतः जन आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की श्रेणियों की सूची में से एसबीसी की श्रेणी को हटाने का श्रम करावे, ताकि कोई शंका उत्पन्न ना हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सीताराम स्वरूप)
संयुक्त निदेशक

क्रमांकः :–एफ17(8)12/डीईएस/रा.ज.आ.यो./सामान्य/2022/363-72 दिनांकः 26-02-2024

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा., जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सू. प्रौ. और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले।
6. एसए/एसीपी, जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
7. उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
8. उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
9. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त, पंचायत समिति, राजस्थान।
10. वेबसाईट सेल, मुख्यालय।

RajKaj Ref

Signature valid
Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Joint Director
Date: 2024.02.26 1?:43:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/36546 जयपुर, दिनांक 21-6-19

परिपत्र

राज्य सरकार के राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 2/2019) एवं समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों की अनुपालना में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग को अर्थात पांच जातियों यथा **1.** बंजारा, बालदिया, लबाना **2.** गाडिया लोहार, गाडोलिया **3.** गुजर, गुर्जर **4.** राईका, रैबारी, देबासी **5.** गडरिया (गाडरी), गायरी को शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण दिया जाना है।

इस हेतु उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में नियमानुसार अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त पांच जातियों के अभ्यर्थियों को कतिपय विभागों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राज्य के विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिये जाने में संशय की स्थिति है। इस क्रम में पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 जारी किया गया था **(प्रति संलग्न)**।

इस संबंध में पुनः यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया गया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(125)एम.बी.सी./आर.एण्डपी./सान्याअवि/2012/36547-67 जयपुर, दिनांक : 21-6-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
14. समस्त जिला कलक्टर, ...।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, ...।
16. सचिव समस्त आयोग/बोर्ड
17. ए.सी.पी., मुख्यावास, सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबंधित को ई–मेल करने बाबत।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
19. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
20. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
21. गार्ड फाईल।

(सांवर मल वर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15633 जयपुर दिनांक 22/02/18

संशोधित परिपत्र

राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018 के अनुक्रम में, विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17.11.2017 में वर्णित राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 38/2017) (यथा संशोधित) की धारा 2 डी एवं एफ में अति पिछडा वर्ग को अनुसूची मे वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया लोहार, गाडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी),गायरी को रखा गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 21.12.2017 तथा आदेश क्रमांक प.7 (1)कार्मिक/क-2/2017 जयपुर दिनांक 29.01.2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग में अति पिछडा वर्ग की उपरोक्त जातियों को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उभय अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव 27/2

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी/आरएण्डपी/ सान्याअवि/2012/ 15634-790 जयपुर दिनांक 27/02/18 28/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त अतिरिक्त/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज0
11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग जयपुर, राज0
12) समस्त संभागीय आयुक्त..............................
13) समस्त जिला कलक्टर..............................
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक..............................
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड..............................
16) ए.सी.पी मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं समस्त संबधित को ई-मेल करने बाबत
17) समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास/उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..............................
18) गार्ड फाईल।

(डॉ समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव